

**भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2019 में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित होने वाले पात्र कार्मिकों से प्राप्त विकल्प/आवेदन पत्रों का विवरण**

क्रम सं	कार्मिक नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद/कार्यालय	विकल्प /आवेदन पत्रों का विवरण		अन्यवृत्ति
			विकल्प	आवेदन पत्रों का विवरण	
01	02	03	04	05	06
1.	श्री राकेश चन्द्र वर्मा, वर्गीकरण सहायक (सी०)	चम्पावत	चम्पावत, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, देहरादून मुख्यालय, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर	स्थानान्तरण के विकल्प देते हुए, सेवानिवृत्ति की तिथि 31.03.2020 होने के कारण वर्तमान जनपद में ही रहने का अनुरोध किया गया है। धारा 3(ज) के अंतर्गत वह वरिष्ठ कार्मिक है, अवगत कराया गया है।	
2.	श्री राजेन्द्र सिंह धौनी, जड़ी-बूटी पर्यवेक्षक	पिथौरागढ़	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>रीढ़ की हड्डी की ट्यूबर क्लोसिस (पारस स्पाइन), एनकाइलोसिस एवं स्टेफड आफ बैक (रीढ़ की अकड़न) बीमारी से ग्रस्त हैं व सेवानिवृत्ति में 04 वर्ष शेष रह गये हैं।</li> <li>स्थानान्तरण एक्ट की धारा 7 घ(1) व (3) आधार पर छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है व प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा पूर्व वर्ष 2018 में निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया है।</li> </ol>	

**भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2019 में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित होने वाले पात्र कार्मिकों से प्राप्त विकल्प/आवेदन पत्रों का विवरण**

क म सं	कार्मिक नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद/ कार्यालय	विकल्प /आवेदन पत्रों का विवरण		अन्युक्ति
			विकल्प	आवेदन पत्रों का विवरण	
01	02	03	04	05	06
1.	श्री जगतपाल शर्मा, जड़ी-बूटी पर्यवेक्षक	कोटद्वार, पौड़ी	कोटद्वार, पौड़ी	<ol style="list-style-type: none"> <li>चकराता (04 वर्ष लगभग), बेतालघाट (01 वर्ष लगभग) व चम्पावत (06 वर्ष लगभग) में 10 वर्ष से अधिक की सेवा दुर्गम स्थानों पर की गयी है, अवगत कराया गया है।</li> <li>निजी अनुरोध पर पत्नी की अस्वस्थता के कारण वर्ष 2017 में चम्पावत से स्थानान्तरण जनपद पौड़ी किया गया था, अवगत कराया गया है।</li> <li>पत्नी का ईलाज कोटद्वार में चल रहा है व पारिवारिक समस्याओं के कारण स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।</li> </ol>	
2.	श्री श्याम कृष्ण बाजपेयी, जड़ी-बूटी पर्यवेक्षक	कोटद्वार, पौड़ी	ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, देहरादून	<ol style="list-style-type: none"> <li>जनपद टिहरी के अति दुर्गम विकासखण्ड जखोली, फकोट, हिण्डोलाखाल, जनपद नैनीताल के विकासखण्ड बेतालघाट व जनपद उत्तरकाशी में तैनात रहे हैं, अवगत कराया गया है।</li> <li>स्वयं की अस्वस्थता (हाई ब्लड प्रेशर-टी.जी. बीमारी से ग्रसित हैं) के कारण स्थानान्तरण ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, देहरादून (सुगम जनपदों में) करने का अनुरोध किया गया है।</li> </ol>	
3.	श्रीमती सुषमा रानी, सहयोगी	रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	-	<p>एक पांव व बैशाखी से चल पाती है। विकलांग भत्ता प्राप्त हो रहा है। विकलांग कार्मिकों को अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट प्रदान की गयी है। विकलांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।</p>	नियुक्ति आदेश सं० 4717-24/स्था०/क्ष०आर०वि०भ०/05 दिनांक 14.12.2008 से विकलांग कोटे के अंतर्गत नियुक्ति की गयी थी।
3.	श्री पंकज कुमार पंत, जड़ी-बूटी पर्यवेक्षक	अल्मोड़ा	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्ष 1988 में योगदान कर, विकासखण्ड स्तरीय पद (जड़ी-बूटी पर्यवेक्षक) पर 05 वर्ष सेवा की गयी (विकासखण्ड-कपकोट) अवगत कराया गया।</li> <li>जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2015 तक 07 वर्ष दुर्गम में सेवा पूर्ण की गयी।</li> <li>वर्तमान तैनाती, जो सुगम में है में, अभी 04 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, अवगत कराया गया है व दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूर्ण करने का लाभ प्रदान कर स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।</li> </ol>	

शेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2019 में अनुरोध के आधार पर कार्मिकों से प्राप्त विकल्प / आवेदन पत्रों का विवरण

क्रम सं०	कार्मिक नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती जनपद/ कार्यालय	विकल्प / आवेदन पत्रों का विवरण		अभ्युक्ति
			विकल्प	आवेदन पत्रों का विवरण	
01	02	03	04	05	06
1.	श्री संजय कुमार, जडी-बूटी पर्यवेक्षक	रुद्रप्रयाग	नैनीताल, अल्मोडा, बागेश्वर	<p>1. जनपद नैनीताल के दुर्गम क्षेत्र रामगढ, गरमपानी, कसियालेख, खुर्पाताल स्थानों पर कुल 09 वर्ष तैनात रहे हैं, अवगत कराया गया है। पत्नी दुर्गम क्षेत्र रियूनी में अघ्यापिका के पद पर 01 वर्ष से तैनात है।</p> <p>2. स्थानान्तरण अधिनियम के पति- पत्नी नियम 13(3),17(1)(ख)-(4) पति-पत्नी नियम 17(1)(ग), नियम 10(क) आदि आधार पर आवेदन दिनांक 27.04.2019 द्वारा स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।</p>	
2.	श्री दिनेश चन्द्र दुर्गापाल, जडी-बूटी पर्यवेक्षक	बागेश्वर	अल्मोडा	<p>स्वयं की सेवानिवृत्ति मात्र 05 वर्ष हो जाने के कारण, पत्नी के अस्वस्थता, ईलाज, देख-नाल व पारिवारिक समस्याओं के कारण स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।</p>	
3.	श्री ए. के. बिसारिया, जडी-बूटी पर्यवेक्षक	हरिद्वार	मुख्यालय, देहरादून	<p>1. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13(4) एवं पति-पत्नी धारा 3 के खण्ड(घ) में यथा निर्दिष्ट पत्नी के गम्भीर रोग आधार पर तथा स्वयं के 3(च) के आधार पर हृदय रोग (एंजियोप्लास्टी) से ग्रस्त होने के कारण स्थानान्तरण मुख्यालय, देहरादून करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2. राज्य मेडिकल बोर्ड उत्तराखण्ड एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून द्वारा निर्गत उनके हृदय रोग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।</p>	